


FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....
नाबालिक भारती..... बनाम..... सरका..... किस्म मु0.....
मिसल न0..... 237/2025.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
14/01/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी नाबालिक भारती पुत्री परस्या निवासी नीमोला ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 231 में काशतगार का नाम नाबालिक भारती पुत्री परसुराम दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम नाबालिक भारती पुत्री परस्या के स्थान पर नाबालिक भारती पुत्री परसुराम नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 14/01/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी इटावा</p>	